!! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक :– दिनांक :–

: : *विज्ञप्ति* : :

अलवर न्यायक्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के 20 अस्थाई रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी {भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें} नियम 1999 के अन्तर्गत सीधी भर्ती/नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

कुल पद	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	योग
20	15	04	–	01	20

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों की संख्या माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नियमानुसार अन्तर्जिला स्थानान्तरण, अनुकम्पात्मक नियुक्ति की स्थिति में घट–बढ सकती है। आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति राज्य सरकार के समय समय पर जारी आदेश एवं निर्देशों के अधीन होगी। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम 1999 एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूजित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, महिला, निःशक्तजन/विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा। चयन समिति द्वारा किसी अभ्यर्थी के चयन की सिफारिश करने मात्र से अभ्यर्थी नियुक्ति पाने का अधिकारी नहीं होगा।

01. परिवीक्षा की कालावधि :–

परिवीक्षा अवधि के दौरान राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन संख्या/एफ.14(1)एफ.डी.(रूल्स)/2013–।। दिनांक 28.06.2013 के नियम 21 की चतुर्थ अनुसूची के तहत रिक्त पदों के लिए चयनित अभ्यर्थी को दो वर्ष के परिवीक्षा काल के दौरान 5400/–रूपये प्रतिमाह नियमानुसार निश्चित पारिश्रमिक देय होगा। इसके अतिरिक्त परिवीक्षा काल में अन्य कोई राशि अथवा परिलाभ देय नहीं होंगे। परिवीक्षा काल सन्तोषप्रद रुप से पूर्ण करने के उपरान्त राजस्थान सिविल सेवाएं {पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008} के नवें संशोधन 2013 के अन्तर्गत पे–बैण्ड पीबी–1 5200–20200 ग्रेड पे 1700/– रु. में नियमानुसार वेतन देय होगा।

नियुक्त होने वाले आवेदक के द्वारा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक/एफ.117) एफ.डी.(रूल्स)/97 दिनांक 14.01.2004 के अन्तर्गत नियुक्ति योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थियों पर नवीन अंशदायी पेन्शन योजना के सभी नियम लागू होंगे। राज्य सरकार के आदेशानुसार मेडिक्लेम बीमा, राज्य बीमा एवं सी.पी.एफ. व अवकाश सम्बन्धी समस्त परिलाभ राज्य सरकार के प्रभावी नियमों के अधीन लागू रहेंगे।

02. राष्ट्रीयता –

अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम 1999 के नियम 11 की अहर्ता रखता हो।

03. आयु –

आवेदक की आयु आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि से आगामी 1 जनवरी को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए,

परन्तुः–

(1) असाधारण मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार से परामर्श करके ऊपर वर्णित आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकेगी।

(2) यह कि ऊपर उल्लिखित आयु सीमा में –
  (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष
  (ख) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामलों में 5 वर्ष और
  (ग) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(3) भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों और रिजर्विष्ट अर्थात् प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारियों के लिए जिनकों रिजर्व में अन्तरित कर दिया गया था, ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

(4) एन.सी.सी. केडेट प्रशिक्षकों के मामले में ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा

एन सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक ना हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में समझा जायेगा,

(5) दिनांक 01.03.63 को या इसके पश्चात् बर्मा, श्रीलंका और कीनिया से तथा पूर्वी अफ्रीका के देश टांगानिका, युगाण्डा और जंजीबार से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के लिए ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के मामलों में 5 वर्ष की और छूट दी जायेगी,

(6) ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो अपनी दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था,

(7) अन्य भूतपूर्व कैदियों के मामले में ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी, बशर्ते की वह दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था,

(8) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976(1976 का केन्द्रीय अधिनियम) के अधीन परिलक्षित और निर्मुक्त किसी परिवार के सदस्य के मामले में अधिकतम आयु सीमा में 40 वर्ष तक की छूट होगी,

(9) विधवाओं और विवाह विच्छेद महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी,

(10) अन्य पिछडे वर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में अपरिवर्तित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

स्पष्टीकरण :– विधवा के मामले में, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विवाह विच्छेद {तलाक} के मामले में उसे विवाह विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

04. शैक्षणिक योग्यता –

अभ्यर्थी को उक्त पद के लिए आवेदन हेतु किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण किया होना आवश्यक है।

05. पात्रता एवं चरित्र –

कोई भी पुरूष अथवा महिला अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे ऐसे दो प्रमाण पत्र, जो उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए नहीं हो, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के पेश करने होंगे, जो उसके रिश्तेदार नहीं हों।

06. नियुक्ति के लिए निरर्हता –

1. ऐसे आवेदक जिन्हें लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी परीक्षाओं के लिए अथवा नियोजन अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो अथवा किसी विभाग द्वारा नियोजन के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

2. एक से अधिक जीवित पत्नियों वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे विवाहित पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहली पत्नी जीवित हो और उस पहली जीवित पत्नी का विधिवत तलाक न हुआ हो, इस पद हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

3. विवाहित आवेदक, जिसने विवाह के समय किसी भी प्रकार का दहेज लिया अथवा दिया हो, वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

4. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

07. विवाह एवं सन्तान –

आवेदक को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात तीसरी या उससे अधिक संतान उत्पन्न नहीं हुई हैं।

स्पष्टीकरण–

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 01.06.02 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होती।

परन्तु यह और कि जहॉ किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं वहॉ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाइ समझा जायेगा।

आवेदक का विवाह यदि, दिनांक 22.05.2006 के बाद सम्पन्न हुआ है तो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.06.2006 के अनुसार विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अन्य मामलों में प्रपत्र–6 द्वारा निर्धारित शपथ–पत्र जो कि तस्दीकशुदा हो, संलग्न किया जाना आवश्यक है।

08. शारीरिक योग्यता –

आवेदक को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये तथा उसके ऐसा कोई शारीरिक या मानसिक दोष नहीं होना चाहिए, जो उसके कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न करता हो। नियुक्ति के समय आवेदक को अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

09. अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग –

ऐसा अभ्यर्थी, जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतिरूपण करने का अथवा बनावटी दस्तावेज, जिनमें गडबड की गई है, प्रस्तुत करने का या ऐसे ब्योरे प्रस्तुत करने का, जो सही नहीं है या मिथ्या हैं अथवा महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का अथवा परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का या उनके प्रयोग करने का प्रयास करने का या परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश पाने के निमित्त किसी अनियमित या अनुचित साधन काम में लाने का दोषी घोषित किया जाता है या किया जा चुका हो तो फौजदारी मुकद्मा चलाये जाने के दायित्वाधीन रहने के अतिरिक्त उसे :–

(क) समिति द्वारा किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से,

(ख) सरकार के अधीन नियोजन के लिए सरकार द्वारा स्थायी तौर पर या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

10. आवेदन –

अभ्यर्थी को अपना स्वहस्ताक्षरित आवेदन–पत्र, सम्पूर्ण विवरण के साथ संलग्न प्रारुप में सादे कागज पर सुस्पष्ट लेख में लिखा हुआ अथवा टंकित किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र का प्रारुप कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखा जा सकेगा। साथ ही जिला न्यायालय अलवर एवं जिला कलैक्टर अलवर की वेबवाईट से डाउनलोड किया जा सकेगा।

आवेदन के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है :–

- ✓ जन्म तिथि प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- ✓ आयु सीमा में छूट के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- ✓ शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रतियॉ।
- ✓ दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित, जो 6 माह से अधिक पुराने ना हों।
- ✓ आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो लगावें।
- ✓ यदि कोई अभ्यर्थी राज्य सेवा में कार्यरत है तो वह अपना आवेदन अपने विभागाध्यक्ष के जरिये अग्रेषित करेगा।
- ✓ आवेदक को 10/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर, {नोटेरी द्वारा नियमानुसार सत्यापित किया हुआ}, सन्तान सम्बन्धी घोषणा का शपथ पत्र {संलग्न प्रारुप में} प्रस्तुत करना होगा।
- ✓ विवाहित आवेदक को, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष, 10/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर, {नोटेरी द्वारा नियमानुसार सत्यापित किया हुआ}, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने विवाह के समय किसी प्रकार का दहेज लिया/दिया नहीं है। जिसने विवाह के समय किसी भी प्रकार का दहेज लिया अथवा दिया हो, वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- ✓ यदि आवेदक अविवाहित है या उसका विवाह दिनांक 22.05.2006 से पूर्व हुआ है तो उसे इस आशय का शपथ पत्र 10/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर, नोटेरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवा कर, {संलग्न प्रारुप में} संलग्न करना होगा। जिन आवेदकों का विवाह दिनांक 22.05.2006 को या इसके बाद हुआ है, उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।

✓ ऐसे आवेदक जो किसी भी प्रकार की छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।

✓ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछडा वर्ग, निशक्तजन/विकलांग,भूतपूर्व सैनिक,उत्कृष्ट खिलाडी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि –

आवेदन–पत्र दिनांक 07.08.2014 को कार्यालय समय तक प्रभारी अधिकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जिला न्यायालय अलवर के कॉन्फ्रेन्स हॉल में जमा किये जायेंगे। इस विज्ञप्ति से पूर्व व अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

12. साक्षात्कार –

साक्षात्कार हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची एवं साक्षात्कार का स्थान, समय व तिथि जिला न्यायालय परिसर, अलवर के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 18.08.14 को चस्पा कर दी जायेगी। पृथक से कोई सूचना किसी अभ्यर्थी को प्रेषित नहीं की जावेगी तथा ना ही इस साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा–भत्ता इत्यादि देय होगा। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र अपूर्ण होंगे एवं वांछित प्रमाण–पत्रों की सत्य प्रतिलिपियाँ संलग्न नहीं होगी, उन आवेदन–पत्रों, को निरस्त कर दिया जावेगा जिसकी अलग से कोई सूचना आवेदनकर्ता को नहीं दी जावेगी। जिन प्रमाण–पत्रों की सत्य प्रतिलिपियाँ आवेदन–पत्र के साथ संलग्न की जावें उनकी मूल प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करनी होंगी। किसी भी प्रकार की सिफारिश कराने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार/नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।

प्रभारी अधिकारी

(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.2,अलवर)
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जिला न्यायालय, अलवर।

क्रमांक : 12921-12990 दिनांक : 14.7.14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, राज. उ. न्या., जोधपुर।
02. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, राज. उ. न्या. पीठ, जयपुर।
03. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर।
04. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश .....
05. जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
06. जिला नियोजन अधिकारी, अलवर।
07सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अलवर।
08.सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, अलवर।
09.नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा
10.समस्त अधीनस्थ न्यायालय,अलवर।

प्रभारी अधिकारी 14.7.2014

(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं.2,अलवर)
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जिला न्यायालय, अलवर।

: : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप : :

हस्ताक्षरयुक्त
स्वयं का
पासपोर्ट आकार
का फोटो

01. आवेदक का नाम .....

02. पिता / पति का नाम .....

...

03. जन्म–तिथि {अंको में} दिनांक .....माह.....वर्ष.....
{शब्दों में} .....

04. राष्ट्रीयता .....

05. डाक का पूर्ण पता .....
{पत्र व्यवहार हेतु} .....
.....

06. निकटतम पुलिस स्टेशन का नाम .....

07. जाति .....

08. आवेदक अपने वर्ग (☐) करें एवं प्रमाण पत्र संलग्न करें :–
अनु. जाति / अनु. जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / भूतपूर्व सैनिक / विधवा / परित्यक्ता

09. शैक्षणिक योग्यता 1. .....
2. .....
3. .....

10. वर्तमान में सेवारत हैं तो पद, नियुक्ति का दिनांक मय विभाग :–
पद ..... नियुक्ति का दिनांक .....
विभाग / कार्यालय .....

11. विवाह का दिनांक .....

12. संतानों की संख्या 1. ..... जन्म तिथि .....
2. ..... जन्म तिथि .....

स्थान :
दिनांक :

{आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक}

पता .....
.....

संलग्न दस्तावेज पर (✓) करें :–

01. जन्मतिथि सम्बन्धी प्रमाण–पत्र की सत्य प्रति,
02. शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की सत्य प्रतियां,
03. विवाह सम्बन्धी, शपथ–पत्र / प्रमाण–पत्र
04. दहेज सम्बन्धी शपथ पत्र
05. दोष सिद्ध नहीं होने बाबत शपथ पत्र
06. सन्तान सम्बन्धी घोषणा–पत्र
07. जाति प्रमाण–पत्र,
08. आयु में छूट प्राप्त करने हेतु प्रमाण–पत्र
09. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र
जो छःमाह से अधिक पुराने न हों

–: शपथ – पत्र :–

{प्रपत्र – 6}

(10 रु. के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी से तस्दीकशुदा)

मैं श्री/सुश्री..... पुत्र/पुत्री/पत्नी..... निवासी .....शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमति/श्री .... निवासी ..... के साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीकरण दिनांक 22.05.2006 लागू होने से पूर्व दिनांक ..... को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

/या/

मेरा विवाह श्रीमति/श्री .....निवासी..... ..... के साथ दिनांक .... को राजस्थान सज्य से बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

/या/

मैं ..... {पत्नि/पति} श्री/श्रीमति ..... विधुर/विधवा हूँ।

/या/

मैं ..... तलाकशुदा हूँ। ({प्रमाण–पत्र संलग्न हैं}

/या/

मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री ..... के साथ दिनांक ..... को सम्पन्न हुआ था।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

–: संतान सम्बन्धी घोषणा – पत्र :–

(10 रु. के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी से तस्दीकशुदा)

मैं श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... निवासी ..... यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी सन्तान उत्पन्न नहीं हुई है।

स्थान : हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

दिनांक :

–: शपथ – पत्र :–

{प्रपत्र – 6}

(10 रु. के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी से तस्दीकदशुदा)

मैं ..... पुत्र/पुत्री..... निवासी ..... यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अविवाहित हूँ।

स्थान : हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

दिनांक :

–: शपथ – पत्र :–

{प्रपत्र – 6}

(10 रु. के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी से तस्दीकदशुदा)

मैं ..... पुत्र/पुत्री..... निवासी ..... यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विवाह के समय दहेज लिया/दिया नहीं है अथवा मैं विवाह के समय दहेज नहीं लूंगा/लूंगी अथवा दूंगा/दूंगी।

स्थान : हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

दिनांक :

–: दोष सिद्धि नहीं होने बाबत शपथ – पत्र :–

(10 रु. के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी से तस्दीकशुदा)

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी .....उम्र ..... जाति ..... निवासी .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि, मुझे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है तथा मेरे खिलाफ कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है तथा यदि कोई दोषसिद्ध किया गया है तो उसका विवरण निम्न प्रकार है :

दिनांक : शपथकर्ता

मैं, ... सत्यापित करता/करती हूँ कि शपथ पत्र में अंकित उक्त तथ्य मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य हैं। ईश्वर मेरा साक्षी है।

दिनांक : शपथकर्ता